कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक/ 1727 /छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2026 रायपुर, दिनांक 28/10/2026

// प्रवेश वर्ष 2026 दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर (MDS) पाठ्यक्रम की तृतीय चरण (मॉपअप राउण्ड) काउंसिलिंग हेतु नवीन ऑनलाइन आवेदन एवं पूर्व पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों के लिए विषय एवं संस्था चयन संबंधी सूचना //

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक V.12025/84/2024-DE, दिनांक 12.10.2026 (संलग्न) के अनुसार NEET-MDS 2026 की प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम अर्हताकारी परसेंटाइल (Qualifying Percentile) में **20.576** परसेंटाइल की कमी की गई है। **(पत्र संलग्न)** उक्त आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रवेश वर्ष 2026 हेतु दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर (MDS) पाठ्यक्रम की तृतीय चरण काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से नवीन ऑनलाइन आवेदन तथा पूर्व पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों से विषय एवं संस्था चयन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत आवेदन शुल्क जमा करने एवं विषय तथा संस्था चयन हेतु समय–सारिणी निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

तृतीय चरण काउंसिलिंग हेतु समय–सारिणी

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	निर्धारित तिथि एवं समय
1	ऑनलाइन आवेदन शुल्क **(Non Refundable)**	राशि रू. 2,000/- (रू. दो हजार मात्र)
2	ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि	दिनांक **29.10.2026**, समय **Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM)** से दिनांक **03.11.2026**, समय **Server Time 23:59 Hrs (11:59 PM)** तक
3	चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग करने **(Choice Filling and Locking)** की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि	दिनांक **29.10.2026**, समय **Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM)** से दिनांक **04.11.2026**, समय **Server Time 23:59 Hrs (11:59 PM)** तक

नोट :– पूर्व पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों को तृतीय चरण (मॉपअप राउण्ड) काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित अवधि में पुनः विषय एवं संस्था चयन करना आवश्यक होगा। पूर्व चरण में किये गये विषय एवं संस्था चयन इस चरण के लिए मान्य नहीं होंगे। विषय एवं संस्था चयन नहीं करने की स्थिति में तृतीय चरण में सीट आवंटन नहीं किया जा सकेगा।

तृतीय चरण (मॉपअप राउण्ड) में आवंटन हेतु वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगी:–

(i) प्रथम वरीयता – तृतीय चरण (मॉपअप राउण्ड) में आवंटन की प्रथम वरीयता पूर्व पंजीकृत अनावंटित अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

(ii) द्वितीय वरीयता – तृतीय चरण (मॉपअप राउण्ड) में आवंटन द्वितीय वरीयता नवीन पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

क्रमश––2––

तृतीय वरीयता – उपर्युक्त दोनों वरीयता के अभ्यर्थियों के आवंटन पश्चात भी यदि सीटें रिक्त रहती हैं, तो पूर्व चरणों के आवंटित किन्तु अप्रवेशित अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन तथा विषय एवं संस्था चयन करने के पूर्व छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2017 का अध्ययन कर लें। आगामी काउंसिलिंग प्रक्रिया, आवंटन एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाईट ***www.cgdme.in*** एवं ***https://cgdme.admissions.nic.in/*** का नियमित अवलोकन करते रहें।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अध्यक्ष
काउंसिलिंग समिति
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़